## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
## पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः— 67/2013/अपील**

भगवानाराम पुत्र बक्साराम जाति जाट निवासी विजयनगर (पलसाना) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1 सांवरमल पुत्र गोविन्दराम
2 पोखर पुत्र खेताराम
समस्त जाति जाट निवासी विजयनगर (पलसाना) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
3 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 490 दिनांक 10.05.2013 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़**

वकील अपीलांट श्री सागरमल धायल
वकील रेस्पोडेंट श्री बजरंगलाल शर्मा

**निर्णय** **दिनांकः—07.11.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3947 रकबा 0.40 है0 तन ग्राम विजयनगर पटवार हल्का पलसाना स्थित है। उक्त आराजी व अन्य भूमियां खसरा नम्बर 4210, 4214, 4215 भी ग्राम विजयनगर की तन में स्थित है, के सम्बन्ध में अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम सीकर के यहां दावा व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर रखा है व वहां से विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने की आज्ञा भी दिनांक 29.01.2013 को जारी की हुई है। उक्त दावे व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा में पटवारी हल्का, उप पंजियक पलसाना व तहसीलदार दांतारामगढ भी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 की हैसियत से पक्षकार है व उन पर उक्त वाद व आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा की तामील भी हो चुकी। उसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 3947 रकबा 0.40 है0 में अपने 1/8 भाग की भूमि में से एक "विशेष भू—भाग" बिना बंटवारा संयुक्त कब्जे व खातेदारी की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2013 को रजिस्टर्ड बिना कब्जा व बिना प्रतिफल के करवा दिया। पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 490 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किए बिना ही दिनांक 1.03.2013 को भरा व दिनांक 03.05.2013 को गिरदावर हल्का के यहा प्रस्तुत किया व दिनांक 10.05.2013 को पटवारी हल्का ने किसी न्यायालय का स्थगन व विवाद न होने का तथ्य स्वयं ने अपनी रिपोर्ट मे कर विजयनगर को स्वीकार करने से पूर्व विक्रय पत्र का अवलोकन किए बिना व बिना किसी प्रकार की जांच किए व नामान्तकरण सम्बन्धी नियमों की पालना किये बिना ही विरूद्ध कानून दिनांक 10.05.2013 को स्वीकार कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विवादित आराजीयात जो अपीलांट व अन्य सह कृषको की संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की भूमि थी, उसका "विशिष्ट भू—भाग" विक्रय करने का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई

कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार व पटवारी हल्का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्थगन आदेश से पाबंध होते हुए भी उन्होने माननीय न्यायालय के आदेशो की अवहेलना जानबूझकर आज्ञा जैर अपील पारित करवाने व करने में गलती की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व विवादित आराजीयात के कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच नही की व संयुक्त खातेदारी की भूमि में "विशिष्ठ भू भाग" पर कब्जा विक्रेता का कतई मान्य न होते हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई कब्जा दिया भी नही गया। योग्य तहसीलदार ने नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व सह कृषकों को व अपीलांट को कोई नोटिस व सूचना नही दी व न ही उन्हे अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 490 दिनांक 10.05.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र के अवलोकन करने पर उक्त विक्रय पत्र विशिष्ट भू भाग का किया गया है जिसकी सीमाओं में पड़ोस दर्शाया गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण में हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.03.2013 में अंकित किया है कि विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच व स्वीकृति हेतु सादर पेश है एवं उसके पश्चात् रिपोर्ट दिनांक 10.05.2013 में अंकित किया है कि आज दिनांक तक कोई स्थगन या विवाद नहीं है। उसके पश्चात् गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 3.5.13 को रिपोर्ट अंकित की गई। गिरदावर हल्का की रिपोर्ट उपरांत तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण में अंकित किया है कि नामांतकरण दर्ज हुए 68 दिन हो चुके है। मुताबिक पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में सहायक कलक्टर मु0 सीकर के न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 3947, 4210, 4214, 4215 कुल किता 4 कुल रकबा 6.27 है0 ग्राम विजयनगर बाबत आदेश दिनांक 29.01.2013 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर मु0 सीकर की आदेशिका दिनांक 29.01.2013 से दिनांक 08.10.2014 तक का अवलोकन करने पर उसमें उक्त स्थगन आदेश विड्रा करने एवं खारिज करने का कोई अंकन नहीं है। अपीलाधीन नामांतकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 01.03.2013 को भरा जाकर प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त नामांतकरण को तहसीलदार द्वारा दिनांक 10.05.2013 को स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में सहायक कलक्टर मु0 सीकर के न्यायालय की आदेशिका के मुताबिक वादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में दिनांक 29.01.2013 से स्थगन आदेश प्रभावी होने के उपरांत अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 490 दिनांक 10.05.13 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में अन्य न्यायालयों में विचाराधीन वाद/अपील या निर्णित वाद/अपील के सन्दर्भ में उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पुनः पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.11 18:32:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: